राजस्थान सरकार
कृषि निदेशालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : प.3( )नि.कृ./लेखा/बजट (N.P)/आधिक्य–बचत/2016–17/ दिनांक :

परिपत्र

विषय : संवेतन मद के बजट प्रस्ताव तैयार करते समय रिक्त पदों हेतु संवेतन मद में अनुमानित व्यय सम्मिलित नहीं करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रायः पाया गया है कि कतिपय अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा संवेतन मद के बजट प्रस्ताव तैयार करते समय उनके कार्यालय में रिक्त चल रहे पदो के संवेतन हेतु भी अनुमानित व्यय भी सम्मिलित कर लिये जाते है। अधिनस्थ कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मुख्यालय स्तर पर एकजाई बजट प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित कर दिये जाते है। पदो के रिक्त रहने के कारण वर्ष के अंत में ''संवेतन'' मद में बचत रह जाती है, जिसे जनलेखा समिति, राज्य विधानसभा द्वारा गम्भीरता से लिया गया है एवं सिफारिश की गई है कि भविष्य में बजट मैन्युअल के पैरा संख्या – 13.18.2(a) के अनुसार बजट अनुमान तैयार किये जावें।

बजट मैन्युअल के पैरा संख्या 13.18.2(a) के अनुसार बजट अनुमान तैयार करते समय संवेतन मद में रिक्त पदों हेतु बजट अनुमान सम्मिलित नहीं किये जावें।

अतः भविष्य में बजट प्रस्ताव तैयार करते समय बजट मैन्युअल के पैरा संख्या 13.18.2(a) की पालना सुनिश्चित करावें।

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जावे।

(घनश्याम शर्मा)
वित्तीय सलाहकार, कृषि

क्रमांक : प.3( )नि.कृ./लेखा/बजट (N.P)/आधिक्य–बचत/2016–17/ दिनांक : 1345-1505 02/03/17

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्राचार्य राज्य स्तरीय कृषि प्रबन्ध संस्थान, दुर्गापुरा (जयपुर)
2. समस्त संयुक्त निदेशक, कृषि खण्ड ....।
3. समस्त उप निदेशक, कृषि (विस्तार), जिला परिषद/(रसायन)/(गुण नियंत्रण)/(शष्य) ....।
4. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) ....।
5. समस्त कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन)/(वनस्पति) ....।
6. ए.सी.पी. मुख्यालय जयपुर को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।

(घनश्याम शर्मा)
वित्तीय सलाहकार, कृषि